LATEST

NEWS

Election

Date : 28th Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर जयपुर 28-10-2025

एसआईआर का दूसरा चरण मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, यूपी, प. बंगाल, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में होगी वोटर्स की जांच

राजस्थान समेत 12 राज्यों में SIR; 4 से BLO घर आएंगे, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट

एसआईआर से बिहार में 68 लाख से ज्यादा वोटर्स घट गए थे

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करेगा। नौ राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और 3 यूटी अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप व पुडुचेरी में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाएंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। फाइनल लिस्ट 7 फरवरी को जारी होगी। 51 करोड़ मतदाता कवर होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को यह घोषणा की।

बिहार के बाद यह एसआईआर का दूसरा चरण है। इसका उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। इसके लिए जन्मस्थान जांचा जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर के पहले चरण में बिहार में एक भी अपील नहीं आई। इस कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न हो। कई राज्यों के सीईओ ने वेबसाइट पर पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट अपलोड कर दी हैं। राज्यों के आखिरी एसआईआर कट-ऑफ माने जाएंगे। बिहार में 2003 की मतदाता सूची आधार बनी थी। अधिकांश राज्यों में आखिरी एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था। बिहार में एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ वोटर थे। 68 लाख से ज्यादा नाम कटे। 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए। इस प्रक्रिया के बाद बिहार में कुल मतदाता 7.42 करोड़ रह गए।

वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

▪ एसआईआर क्या है?
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जाएंगे। नए योग्य मतदाता जुड़ेंगे। आजादी के बाद यह नौवां अभियान है। पिछला एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था।

▪ कब शुरू होगा? कितना समय लगेगा?
प्रक्रिया शुरू हो गई। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म (ईएफ) देंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 8 जनवरी, 2026 तक दावे-आपत्तियां कर सकेंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस-सुनवाई प्रक्रिया चलेगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट आएगी।

▪ प्रक्रिया कैसे होगी?
12 राज्यों में 27 अक्टूबर की वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई। इसी आधार पर ईएफ छपेंगे। बीएलओ घर-घर जाकर ये देंगे। आपको इसमें जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, माता-पिता और जीवन साथी का नाम और इपिक नंबर भरना होगा। पिछले एसआईआर के डेटा से मिलान या लिंकिंग में बीएलओ मदद करेंगे। डेटा लिंक https://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है।

▪ कौनसे दस्तावेज जमा करने होंगे?
शुरू में सिर्फ ईएफ भरना है। पिछले एसआईआर से मिलान होने पर कोई दस्तावेज नहीं देना। अगर पिछले एसआईआर में नाम नहीं है तो ईआरओ सूचित करेंगे। 12 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा। ये दस्तावेज हैं- आधार कार्ड; केंद्र, राज्य सरकार या पीएसयू का पहचान पत्र या पीपीओ; 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज; जन्म प्रमाणपत्र; पासपोर्ट; मैट्रिक का प्रमाणपत्र; स्थायी निवास प्रमाणपत्र; वन अधिकार प्रमाणपत्र; ओबीसी/एससी/एसटी या कोई जाति प्रमाणपत्र; एनआरसी; राज्य या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर; सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र; एसआईआर के बाद जारी बिहार की मतदाता सूची।

▪ बीएलओ क्या एक बार ही आएंगे?
बीएलओ कम से कम तीन बार हर वोटर के घर जाएंगे। अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है या नेटवर्क या किसी तकनीकी कारण से पिछले डेटाबेस से मिलान नहीं हो पाया तो वे फिर से आपकी मदद के लिए आएंगे। शेष | पेज 7

राजस्थान : एसआईआर के तहत 77% मैपिंग पूरी

जयपुर | प्रदेश में वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं। इनकी जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारी करेंगे। इनमें से 40 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 2.61 करोड़ है, इनकी 77% की मैपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के हैं, इनकी मैपिंग काम चल रहा है।

तैयारी पूरी, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन से लेकर प्रशिक्षण का पूरा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र को बढ़ावा देना शामिल है।

एसआईआर... विपक्ष ने मंशा पर सवाल उठाए, भाजपा का पलटवार -पढ़ें पेज देश-विदेश

दैनिक भास्कर जयपुर 28-10-2025

पहली बार • मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण फरवरी में होगा पूरा

प्रदेश में अब एसआईआर के बाद ही होंगे निकाय-पंचायत चुनाव, फरवरी तक टले

हर्ष खटाना | जयपुर

वन स्टेट वन इलेक्शन का इंतजार कर रहे राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव अब फरवरी तक टल गए हैं। एसआईआर के चलते ऐसा होगा। चूंकि गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ संपन्न होगा। ऐसे में स्थानीय चुनाव भी उसके बाद ही संभव हो सकेंगे। हालांकि प्रदेश के इतिहास में पहला मौका होगा जब एसआईआर के बाद अपडेट मतदाता सूचियों से पंचायत और निकाय चुनाव सम्पन्न होंगे। प्रदेश के 11 हजार पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वो ही ग्राम पंचायत में प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं। उधर नगर निगमों में संभागीय आयुक्तों को प्रशासक लगाया जा चुका है। नई ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का नोटिफिकेशन भी जारी होना शेष है। सरकार के स्तर पर एक महीने पूर्व ही नई पंचायतों को मंजूरी दी जा चुकी है। प्रदेश में 16 जनवरी से करीब सात हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने का सिलसिला शुरू हो गया था। जो अब 15 अक्टूबर तक 11 हजार पंचायतों में पूरा हो चुका है।

दिसंबर तक ओबीसी फॉर्मूले की रिपोर्ट पर भी संकट

बीएलओ समेत चुनाव से जुड़ा सरकारी सिस्टम अब एसआईआर पर काम करेगा। ऐसे में लोकल चुनाव में ओबीसी फॉर्मूला लागू करने के लिए गठित कमेटी के काम पर भी असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि ऐसे में चुनाव कराने से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि राजस्थान में पहली बार ओबीसी आरक्षण के तहत सीटों का निर्धारण होगा और इसके बाद ही चुनाव होंगे। ऐसे में जब तक ये रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती तब तक चुनाव सम्पन्न कराने की दिशा में काम नहीं होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही इस कमेटी का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाया था। माना जा रहा है कि कमेटी का काम पूरा नहीं होने पर समय में वृद्धि की जा सकती है।

मतदाता सूचियों का काम रोक दिया गया था : राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों और नगरीय निकायों की वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को 23 सितंबर को रोक दी थी। इससे पहले आयोग की ओर से 22 अगस्त को मतदाता सूचियां तैयार करने का शेड्यूल जारी किया गया था जिसे कलेक्टरों की आपत्ति के बाद रोका गया था।

दैनिक भास्कर जयपुर 28-10-2025

निकाय, पंचायत चुनाव टालने का हथकंडा है SIR : डोटासरा

जयपुर | पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआईआर पर कहा कि भाजपा चाहे जितनी साजिशें रच ले, जनता वोट से करारा जवाब देगी। प्रदेश में यह प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार है। सुधार के नाम पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश है।

दैनिक भास्कर जयपुर 28-10-2025

एसआईआर • विपक्ष ने मंशा पर सवाल उठाए, भाजपा का पलटवार

बिहार में कितने 'अवैध प्रवासी' पहचाने: बघेल, विपक्ष तो असंतुष्ट आत्माओं का झुंड: पूनावाला

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली/रायपुर

एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा होने पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पूछा कि सरकार बताए, बिहार में कितने 'अवैध प्रवासी' पहचाने गए हैं, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बिहार में एसआई के दौरान 65 लाख वोट काटे गए, लेकिन नए मतदाता नहीं जोड़े गए। उन्होंने इसे 'लोकतंत्र के खिलाफ साजिश' करार दिया। सपा नेता डिंपल यादव ने इसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ठेस पहुंचाने का प्रयास करार दिया। वहीं, टीएमसी ने आशंका जताई कि बंगाल में वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने वोट चोरी रोकने के लिए 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जबकि, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष को 'असंतुष्ट आत्माओं का झुंड' बताते हुए कहा, 'अवैध वोटर नहीं बचेंगे।'

• प. बंगाल में ममता सरकार ने 527 अफसरों का तबादला कर दिया है। भाजपा ने एसआईआर को प्रभावित करने की साजिश करार दिया।

चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशियों की पहचान हुई है और कितने लोगों को बाहर किया गया है। अभी तक केंद्र यह नहीं बता पाया है कि छत्तीसगढ़ में कितने पाकिस्तानी हैं।

- भूपेश बघेल,
पूर्व सीएम छत्तीसगढ़

एक ओर वे कहेंगे कि एसआईआर वोटों की चोरी है। ये संविधान के खिलाफ है। वहीं, महाराष्ट्र में विपक्षी दल एसआईआर की मांग कर रहे हैं।

- शहजाद पूनावाला,
प्रवक्ता बीजेपी

एसआइआर : चुनाव आयोग का ऐलान, मौजूदा वोटर लिस्ट फ्रीज, 7 फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया

तैयार रखें कागज... राजस्थान सहित 12 प्रदेशों में आज से मतदाता सूची का शुद्धीकरण

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. जागरूक रहें, सक्रिय रहें...मतदाता सूची में आपका नाम छूट न जाए, इसके लिए जरूरी कागजात तैयार रखें। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मंगलवार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता में यह ऐलान किया। संबंधित राज्यों की मौजूदा वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई है। मंगलवार से ट्रेनिंग के साथ एसआइआर प्रक्रिया शुरू होकर सात फरवरी को खत्म होगी। इस दौरान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने के साथ सत्यापन भी करेंगे। सात फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। बीएलओ घर-घर जाकर जो एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, इसमें मतदाता की हर डिटेल पहले से भरी होगी और फोटो लगानी होगी।

इन राज्यों में 21 साल बाद एसआइआर की प्रक्रिया की जा रही है। इससे पहले 2002 से 2004 में एसआइआर किया गया था। इसलिए इस बार होने वाली पूरी प्रक्रिया में 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाएगा। एसआइआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग के वालंटियर्स सहयोग करेंगे। बीएलओ कम से कम तीन बार हर मतदाता के घर जाएंगे।

असम में अभी एसआइआर नहीं: चुनावी राज्य असम में अभी एसआइआर नहीं होगी।

पढ़ें **तैयार** @ पेज 15

बड़ी कवायद

मतदाता
51 करोड़

बीएलओ
5.33 लाख

12 राज्य/यूटी में एसआइआर

योग्य छूटे नहीं, अयोग्य जुड़े नहीं

एसआइआर का उदेश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए और न ही कोई अयोग्य मतदाता शामिल हो पाए। सभी राज्यों की मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना लक्ष्य है।
– **ज्ञानेश** कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय चुनाव आयोग

एसआइआर का कार्यक्रम

प्रिंटिंग और ट्रेनिंग	घर-घर सत्यापन	ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन	दावे और आपत्तियां	सुनवाई और सत्यापन	अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025	4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025	9 दिसंबर 2025	9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026	9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026	7 फरवरी 2026

7.64 लाख बूथ लेवल एजेंट पार्टियों के

10448 ईआरओ/एईआरओ

321 जिला निर्वाचन अधिकारी

एक्सप्लेन: सबको भरना होगा एन्यूमरेशन फॉर्म

कैसे होगी पूरी प्रक्रिया?
बीएलओ घर-घर जाकर गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। 2002-04 के एसआइआर सूची से आपका या आपके घरवालों के नाम को मैच करेंगे। पुराने एसआइआर का ऑल इंडिया डेटा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

क्या एन्यूमरेशन फॉर्म सबको भरना होगा?
जी हां, हर नागरिक को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा भले ही आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो। इसी फॉर्म के आधार पर आपका नाम नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में होगा। आपने यह फॉर्म नहीं भरा तो माना जाएगा कि आप वहां नहीं रहते।

फॉर्म भरते समय दस्तावेज देना होगा?
एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। सभी पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में डाले जाएंगे। पुरानी एसआइआर से मैच नहीं करने वाले आवेदकों को नोटिस जारी होगा। ड्राफ्ट सूची में जिनके नाम शामिल नहीं हुए उन्हें 12 निर्धारित दस्तावेज में से एक से अपनी नागरिकता साबित कर नाम दर्ज करवाना होगा। अनुपस्थिति, मृतक, डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सीईओ की वेबसाइट पर उजागर किए जाएंगे।

जिनके नाम कटे वह क्या करेंगे?
जिन मतदाताओं के नाम कटेंगे वह नागरिकता साबित करेंगे और आपत्तियां व अपील कर सकेंगे। सुनवाई के बाद नाम हटाए या जोड़े जाएंगे।

यदि मेरा या माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट में है तो?
अगर आपका या आपके माता-पिता का नाम पिछले एसआइआर यानी 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको दस्तावेज नहीं देने होंगे।

नए मतदाता बनने या जगह बदलने पर क्या होगा?
नए मतदाता बनने के लिए हमेशा की तरह फार्म 6 भरना होगा जिसे बीएलओ कलेक्ट करेंगे। अगर मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो बीएलओ घर जाकर सत्यापन करेंगे घोषणा के लिए फॉर्म 7 और संशोधन या पता बदलने पर फॉर्म 8 भरना होगा।

राजस्थान में फरवरी तक अटके पंचायत-निकाय चुनाव

जयपुर . निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दायरे में राजस्थान को शामिल करने से प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव की प्रक्रिया फरवरी-2026 तक अटक गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह का कहना है कि स्वाभाविक तौर पर अब पंचायत-निकाय चुनाव एसआइआर के आधार पर मतदाता सूची जारी होने के बाद ही हो पाएंगे। उधर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो जाएगी और 7 फरवरी 2026 को पूरी हो जाएगी, जिसके लिए राजस्थान में पूरी तैयारी है। पढ़ें **राजस्थान** @ पेज 15

दैनिक नवज्योति jaipur city - 28 Oct 2025 - Page 1

राजस्थान सहित 12 राज्यों में आज से SIR

सात फरवरी तक चलेगा अभियान, 103 दिन चलेगा प्रोसेस

ब्यूरो / नवज्योति/नई दिल्ली। बिहार में सफलता पूर्वक स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन (एसआईआर) कराने के भारत निर्वाचन आयोग ने अब राजस्थान सहित 12 राज्यों में एसआईआर करने का ऐलान कर दिया है। एसआईआर का दूसरा चरण राष्ट्रीय विस्तार चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि जिन राज्यों में एसआईआर होगा, आज रात से उन राज्यों में मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। एसआईआर का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू होगा और अगले साल सात फरवरी तक चलेगा।

चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी, सटीक तथा विश्वसनीय होगी

जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में है, उन्हें किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची की शुद्धिकरण का काम 21 साल पहले 2002-04 में हुआ था, इतने सालों में वोटर लिस्ट में कई बदलाव जरूरी हो जाते हैं, लोगों का पलायन होता है, इससे एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में नाम रहता है। निधन के बाद भी कई लोगों को नाम लिस्ट में रह जाता है। यही कारण है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी होता है। बिहार में इसी के मद्देनजर पहला चरण पूरा किया गया। सीईसी ने बताया कि जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में है, उन्हें किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और मतदाता सूची में पहले से दर्ज नाम स्वतः जारी रहेंगे।

इन राज्यों में होगा एसआईआर

- राजस्थान
- अंडमान-निकोबार
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- गुजरात
- केरल
- लक्ष्यद्वीप
- मध्य प्रदेश
- पुड्डुचेरी
- तमिलनाडु
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल

यह रहेगी प्रक्रिया

एसआईआर के दौरान हर मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) नियुक्त होगा। बीएलओ तीन बार मतदाताओं के घर जाकर सत्यापन करेगा, वहीं मतदाता ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी बदलाव या आवेदन कर सकेंगे, मृत, स्थानांतरित या दो जगह पंजीकृत मतदाताओं की पहचान बीएलओ करेगा। जबकि जिला स्तर पर ईआरओ (एसडीएम स्तर) और एईआरओ (सहायक अधिकारी) प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

राजनीतिक दलों से अपील: बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति करें

सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति तुरंत करें ताकि वे बीएलओ के साथ मिलकर मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य में सहयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि बीएलओ और एईआरओ की ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।

क्या होगी पात्रता ?- मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता के लिए पात्रता को भी स्पष्ट किया, जिसके अनुसार वोट देने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी करना, निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी भी कानून के तहत अयोग्य न होना आवश्यक है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित है।

एसआईआर के लिए ये दस्तावेज मान्य

- पेंशनर पहचान पत्र
- किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- 10वीं की मार्कशीट
- स्थाई निवास प्रमाणपत्र
- वन अधिकार प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम
- परिवार रजिस्टर में नाम
- जमीन या मकान आवंटन पत्र
- आधार कार्ड

यह रहेगी आपत्ति और अपील की प्रक्रिया

एसआईआर के दूसरा चरण के फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद अगर किसी को कोई शिकायत रहती है तो वह पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पास की जा सकेगी। डीएम के निर्णय पर दूसरी अपील राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के पास होगी।

दैनिक नवज्योति jaipur city - 28 Oct 2025 - Page 12

एसआईआर के लिए तैयार है राजस्थान: महाजन

28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी प्रक्रिया

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर राजस्थान पूरी तरह तैयार हैं। फेज- दो में राजस्थान सहित 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में 28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। महाजन ने बताया कि 28 अक्टूबर से तीन नवबंर तक प्रशिक्षण और गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। चार नवबंर से चार दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण और संग्रहण का कार्य होगा। नौ दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। नौ दिसंबर से आठ जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी।

नौ दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। सात फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। महाजन ने बताया कि प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार पांच करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं। जिनकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से गणना प्रपत्र भरवाकर की जानी है। इनमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है, जिसमें से 77 प्रतिशत की मैंपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के हैं, इनकी मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। महाजन ने बताया कि सभी बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। शीघ्र ही इनके लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाएगा। बीएलओ अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन करेंगे, जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ और सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों और मीडिया की भी जिला और राज्य स्तर पर सहभागिता शामिल की जाएगी। महाजन ने बताया कि वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग जारी है।

पंजाब केसरी
TUE,28 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE

प्रदेश में बुक ए कॉल विद बीएलओ से अब तक 5 हजार कॉल्स

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ईसीआईएनईटी ऐप/वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसमें बुक ए कॉल विद बीएलओ का फीचर भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता बीएलओ से सीधा संपर्क कर विभिन्न प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है।

बिहार की तर्ज पर आज से राजस्थान में भी SIR, चुनाव आयोग ने कसी कमर, हर वोटर का होगा वेरिफिकेशन

फर्जी वोटर्स की होगी छुट्टी

5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता सूबे की वोटर लिस्ट फ्रीज

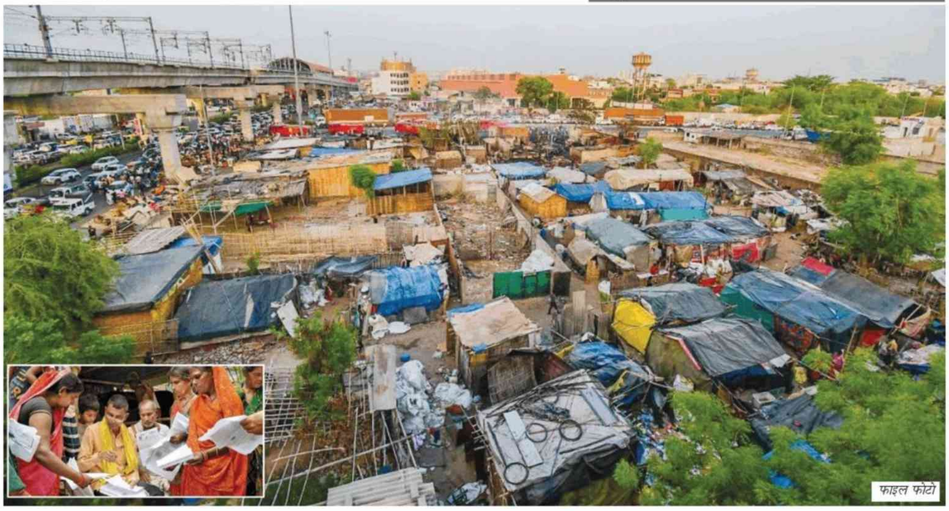

फाइल फोटो

52,469 बीएलओ की लगाई ड्यूटी

28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के, इनकी मैपिंग का कार्य प्रगति पर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता है, जिनकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर की जानी है। इनमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है, जिसमें से 77 प्रतिशत की मैंपिंग की जा चुकी है। वहीं, 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के है, इनकी मैपिंग का काम प्रगति पर है। सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केंद्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देना एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओ, स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण

सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। शीघ्र इनके लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाएगा। बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाएगा, जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता : मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। बीएलए नियुक्ति की स्थिति एवं बीएलए-2 की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे। जिला स्तर पर मीडिया सेल गठित किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जोड़ा जाएगा।

मुकेश मीणा

जयपुर, 27 अक्टूबर : बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी अब वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) होगा। चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तरह तैयार है। राजस्थान में 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं। चूंकि बिहार में एसआईआर को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, ऐसे में राजस्थान में चुनाव आयोग को विशेष सतर्कता के साथ काम करना होगा।

चुनाव आयोग की घोषणा पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान पूरी तरह तैयार हैं। फेज-2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी।

विपक्ष की बढ़ी चिंता, प्रदेश में विरोध दर्ज कराएंगे विरोधी दल

एसआईआर को लेकर अब राजस्थान में भी विपक्ष विरोध करेगा। राजस्थान में विपक्ष के नेता बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद से इसके विरोध में हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका जोरदार विरोध कर चुके हैं। ऐसे में इसके राजस्थान में आने के बाद उनके विरोध के स्वर बढ़ना तय है। दूसरी तरफ विपक्ष की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग एसआईआर पर काम करने से पहले विपक्ष की ओर से होने वाले विरोध को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि मामले पर विपक्ष आक्रामक भी हो सकता है। ऐसे में स्थिति संभालने के लिए आवश्यक तैयारियां चुनाव आयोग ने कर ली हैं।

फाइल फोटो

एसआईआर को विपक्ष बता रहा राजनीतिक साजिश

एसआईआर को लेकर विपक्ष सड़कों पर है और वह इसका विरोध कर रहा है। दरअसल, विपक्ष का मानना है कि एसआईआर एक राजनीतिक साजिश है, जिससे लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। विपक्ष मानता है कि ये साफ-सुथरी प्रक्रिया नहीं है और इससे समुदाय विशेष और आर्थिक रूप से कमजोर लोग प्रभावित होंगे। एसआईआर का मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि कुछ ही समय पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट और मतदान संबंधी आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। विपक्ष की एक चिंता ये भी है कि लोगों से 11 तरीके के जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों के पास वो उपलब्ध नहीं हैं। विपक्ष की एक बड़ी चिंता ये है कि जो लोग गरीब और अशिक्षित हैं, क्या वो वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर पाएंगे। इस तरह से बड़ी संख्या में लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं करवा पाएंगे, जिसका असर उनके वोटिंग के अधिकार पर भी पड़ेगा। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल बाहरी लोगों की पहचान करना है। इससे किसी समुदाय या वर्ग को निशाना नहीं बनाया जा रहा है।

प्रदेश में बुक ए कॉल विद बीएलओ से अब तक 5 हजार कॉल्स

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ईसीआईएनईटी ऐप/वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसमें बुक ए कॉल विद बीएलओ का फीचर भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता बीएलओ से सीधा संपर्क कर विभिन्न प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है।

200 विधानसभा क्षेत्र
गड़बड़ी मिलने पर हटेंगे नाम

राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की गहनता से जांच होगी। हर वोटर को फिर से वेरिफाई किया जाएगा। सोमवार रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज होगी। इसके बाद अब बूथ लेवल ऑफिस (बीएलओ) घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। अब हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच होगी। संदिग्ध ों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। गड़बड़ी मिलने पर नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे।

आज से शुरू होगा एसआईआर का काम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का काम होगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

12 दस्तावेज ही मान्य
दिसंबर-2004 के बाद जन्म तो दस्तावेज दिखाने होंगे

बांग्लादेश व रोहिग्यों की अवैध घुसपैठ

पिछले दिनों राजस्थान पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने प्रदेशभर में अभियान चलाकर बांग्लादेशी व रोहिग्यों को अवैध रूप से रहते हुए पकड़ा था। बड़ी संख्या में ऐसे लोग अवैध रूप से पाए गए थे, जिन्होंने मूल निवास प्रमाण-पत्र तक बनवा लिया था। मई में प्रदेश में 40 जगह पर शेल्टर होम में रखा और विशेष विमान से बांग्लादेश भेजा था।

साल 2003 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। एक जुलाई 1987 से पहले जन्मे हैं तो खुद का जन्म प्रमाण देना होगा। 1 जुलाई, 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं तो माता-पिता के जन्म या नागरिकता के दस्तावेज भी दिखाने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए शर्त और कड़ी है। उन्हें यह साबित करना होगा कि माता-पिता में कम-से-कम एक भारतीय नागरिक हैं और दूसरा गैर-कानूनी प्रवासी नहीं है। यानी उन्हें भी अपने पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे।

कच्ची बस्तियों में संदिग्धों पर नजर, दस्तावेज नहीं दिए तो नाम हटेंगे

भाजपा प्रदेश में खासकर जयपुर में कच्ची बस्तियों में अवैध घुसपैठियों को लेकर मामला उठाती रही है। एसआईआर में अगर बाहर से आकर कोई अवैध रूप से रह रहा है और डॉक्यूमेंट्स बना भी लिया तो एसआईआर में सामने आ जाएगा। दस्तावेज पेश नहीं करने पर उसका नाम वोटर लिस्ट में हटा दिया जाएगा।

फाइल फोटो

दस्तावेज का मिलान कब होगा?

2003 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा। मिलान नही होगा तो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। नही देने पर वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा

निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले फेज में कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। पहले फेज में बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे, फिर मिलान होगा। जिनके दस्तावेज का मिलान नहीं होगा, उनसे तय 12 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। बीएलओ की ओर से फॉर्म भरने के बाद 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा। मिलान नहीं होगा तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। नहीं देने पर वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा।

कांग्रेस राज में फर्जी वोट बने, अब हटेंगे : बालमुकुंदाचार्य

हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने एसआईआर लागू किए जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में कई जगह गड़बड़ी पाई गई थी। कांग्रेस काल में बाहर से आए लोगों के फर्जी दस्तावेज व कागज बने और वोटर आईडी बनी। चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।

बालमुकुंदाचार्य ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने फर्जी वोटर पकड़े हैं। असम और कोलकाता होते हुए बिहार के रास्ते से जयपुर आकर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। जयपुर के हवामहल विधानसभा में कचरा बीनने वाले 282 वोटरों के बासबदनपुरा से फर्जी वोटर आईडी बने हैं। इन्होंने ऐजेंट के जरिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे। यह काम कांग्रेसकाल में तेज गति से काम चला था। अब एसआईआर में अपने पुराने दस्तावेज नहीं दे पाएंगे और अवैध रूप से रहने वालों के नाम वोटर लिस्ट से हटने ही चाहिएं।

जिस पर विपक्ष तरेर रहा आंखें, जाने क्या है वह

चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना जरूरी होता है। अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। आयोग ने बीते दिन एसआईआर पर हो रहे विरोध पर जवाब देते हुए इसका महत्व समझाया था। आयोग ने कहा था, आयोग ने कहा, भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है....तो क्या इन बातों से डरकर, निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर, संविधान के खिलाफ जाकर, पहले बिहार में, फिर पूरे देश में, मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, दो स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए?

SIR to start in 12 states/UTs on Nov 4, wrap up in 3 mths

Not In Assam Due To Diff Criteria For Citizenship

Bharti.Jain@timesofindia.com

New Delhi: Election Commission on Monday ordered the next leg of the special intensive revision of electoral rolls — a pan-India exercise covering

▶EDIT: SIR, Please Note

a dozen states and Union territories, and 51 crore electors in all. Enumeration for this phase shall start on Nov 4 and the final electoral roll, with Jan 1, 2026 as the qualifying date, be published on Feb 7, 2026.

Four of the five states/UT where assembly polls are due in April-May next year — West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry — are among the 12 that will witness SIR over the next three months. Assam, though also poll-bound, is not on that list.

Chief election commissioner Gyanesh Kumar said Assam cannot be covered by the same SIR norms applicable to other states/UTs as the Citizenship Act has an exclusive provision for Assam — Section 6A — with differential criteria for determining citizenship.

▶Continued on P 8

CLEANSING DRIVE: BJP; OPPN SEES PLOT

- **Summary revision in Assam likely** in absence of final SC order on NRC, sources say
- **UP, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, MP, Rajasthan,** Andaman & Nicobar and Lakshadweep **also in this phase**
- **Maharashtra**, where SC has ordered local polls by Jan 31, 2026, **not in SIR list, but Kerala,** where local polls are being discussed but not notified yet, **is**
- SIR **won't require residents to submit any documents** during enumeration. Separate box added to form to record one's own or parents'/ relative's details from last SIR
- 'Indicative' list of documents remains same as in Bihar. **Aadhaar only proof of identity**
- TMC, DMK claim plot to delete legit voters, BJP sees it as drive to weed out illegal ones | P 8

Bengal shuffles 527 bureaucrats before revision

On a day when EC announced nationwide SIR from next month, Bengal govt transferred 67 IAS and 460 state civil services officers, **report Debashis Konar & Kaushik Pradhan**. "The transfers were routine," a senior state officer said, but officials acknowledged that carrying out such a reshuffle after SIR began would have been "much more complicated and difficult".

Many of the transferred officers were close to breaching EC's rule barring officials from holding the same post for over three years. **P 8**

'एसआईआर लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए'

श्रीनगर, 27 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ।

अब्दुल्ला ने विधानसभा सत्र के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर के कार्यान्वयन को लेकर पहले ही कुछ शिकायतें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा, "हमें यह भी नहीं पता कि एसआईआर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं जिन्हें यह मिलेगा। पहले बिहार में चुनाव पूरे हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे कि एसआईआर वाकई फायदेमंद है या नहीं।"मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह इस प्रणाली को कहीं और लागू करने से पहले नतीजों का इंतज़ार करे। उन्होंने कहा, "बिहार के नतीजे अभी नहीं आए हैं। चुनाव आयोग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तब ऐसा लगेगा कि आयोग अपनी स्वतंत्रता खो रहा है और किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम कर रहा है।"

- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि बिहार के नतीजे आने के बाद ही एसआईआर का दूसरा चरण शुरु होना चाहिए।

अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का हवाला देते हुए आरोप लगाया, "हमने पहले भी देखा है कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन यहाँ के लोगों के लाभ के लिए नहीं किया गया था। यह एक खास राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया था।" उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया।

दूसरे चरण की एसआईआर कवायद आज से शुरु

12 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की नई मतदाता सूचियां बनेंगी

- **मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज प्रैस कॉन्फ्रैंस में एसआईआर प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी और कहा अगर किसी मतदाता को दो जगह नाम होने पर दो फॉर्म मिल जाते हैं तो बेहतर होगा वह एक ही फॉर्म जमा करवाएं, वरना उसके कृत्य का अपराध माना जाएगा।**
- **दूसरे चरण में राजस्थान में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरु होगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, प.बंगाल, तमिलनाडु, गोवा के साथ 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरु होगी।**

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी समेत 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विषेश गहन पनरीक्षण अर्थात स्पेशल इन्टेंसिव रिविज़न (एसआईआर) का काम मंगलवार से शुरू करने की घोषणा की है जो सात फरवरी तक संपन्न कर लिया जायेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को यहां एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में एसआईआर के दूसरे चरण के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए विश्वास जताया कि इस संवैधानिक कार्य में आयोग को सभी राज्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर कराया जाना है, उनमें अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़ , गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुड्डुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों की मतदाता सूचियों में आज आधी रात के बाद तब तक कोई बदलाव नहीं किया जायेगा जब तक कि एसआईआर का काम संपन्न नहीं हो जाता। इसके साथ ही इस कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले आयोग की अनुमति से ही किये जा सकेंगे।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार एसआईआर के दूसरे चरण में तीन नवंबर तक फार्मों की छपाई और कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा, चार नवंबर से चार दिसंबर तक बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), प्रशासन के वॉलंटियर और राजनीतिक दलों के एजेंटों के माध्यम से घर-घर जाकर छपे हुए निर्वाचक गणना फार्मों का वितरण और उन्हें वापस एकत्रकर मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के पास जमा करवाने की प्रक्रिया चलेगी।

कार्यक्रम के अनुसार गणना फार्मों की प्राप्ति के आधार पर संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की नयी मतदाता सूची का मसौदा नौ दिसंबर को प्रकाशित कर दिया जायेगा और उसी दिन से आठ जनवरी 2026 तक उन पर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। नौ से 31 जनवरी तक नोटिस और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी और पक्की मतदाता सूची सात फरवरी को जारी कर दी जायेगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एसआईआर के पहले चरण में पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए बिहार के साढ़े सात करोड़ मतदाताओं की पूर्ण भागीदारी को लेकर उनके प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिहार की पक्की सूची पर दावे और आपत्तियां शून्य के बराबर हैं, जो दर्शाती हैं कि राज्य की मतदाता सूची अधिकतम रूप से शुद्ध है। उन्होंने इन राज्यों के मतदाताओं को कानून के अनुसार केवल एक ही मतदाता गणना फॉर्म जमा कराने की सलाह दी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार की ही तरह एसआईआर के दूसरे चरण में भी 2002 से लेकर 2004 के बीच में करायी गयी पिछली एसआईआर के बाद तैयार सूचियों को मिलान का आधार बनाया जायेगा। इन राज्यों और क्षेत्रों की वर्तमान सूचियों के मिलान का कार्य इनके मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) ने कर लिया है।

बिहार में एसआईआर के राजनीतिक विरोध के बारे में एक सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वह ऐसा नहीं मानते कि वहां राजनीतिक दलों का विरोध था। राज्य में 12 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के 1.06 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों ने बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ बढ़-चढ़ कर सहयोग किया। सभी जिला अध्यक्षों ने भी इस कार्य में पूरा सहयोग दिया और चुनाव से पहले आयोग के दौरे में इन दलों ने नेताओं ने एसआईआर की सराहना की।

Raj fully prepared for special summary revision drive: CEO

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: Rajasthan chief electoral officer **Naveen Mahajan** said Monday Rajasthan is fully prepared for the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, to be conducted from Oct 28, 2025, to Feb 7, 2026. The state is among 12 participating in the second phase of national voter roll revision exercise. Mahajan said Rajasthan has 5.48 crore registered voters, whose verification will be carried out by 52,469 Booth Level Officers (BLOs).

"Of these, 2.61 crore voters are above 40 years of age, with nearly 77% mapping completed, while mapping of 2.88 crore voters below 40 is underway," he said.

Instructions have been issued to divisional commissioners, district election officers (DEOs), and electoral registration officers (EROs) for reorganisation of polling stations, training of BLOs and supervisors, coordination with political parties, media management, and awareness campaigns to boost online applications.

PROGRAMME TIMELINE

- **Oct 28 – Nov 3, 2025 |** Training and printing of enumeration forms
- **Nov 4 – DeC 4, 2025 |** Door-to-door distribution and collection of enumeration forms
- **Dec 9, 2025 |** Publication of draft electoral rolls
- **Dec 9, 2025 – Jan 8, 2026 |** Period for filing claims and objections
- **DeC 9, 2025 – Jan 31, 2026 |** Hearing and verification phase
- **Feb 7, 2026 |** Publication of the final electoral rolls

Mahajan said recognised political parties will be briefed on all aspects of the revision, including BLA appointments and the role of BLA-2, to ensure transparency and greater participation. Awareness drives will also be organised in schools, colleges, and panchayats, with self-help groups and Rajsakhis encouraging women voters to register. The 'Book a Call with BLO' feature on the Election Commission's ECINet app has seen encouraging participation, with nearly 5,000 voters already using it to connect with their BLOs.

All state electoral rolls have been uploaded and the Rajasthan CEO's website. Mahajan said family lineage mapping is being conducted to link voters with family members from previous rolls, reducing the need for document verification. "The Election Commission is committed to a transparent, inclusive revision process ensuring every eligible citizen's participation in democracy," Mahajan said.

SIR decision makes civic body polls unlikely in state before Dec

Times News Network

Jaipur: With the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Rajasthan scheduled from Oct 28 till Feb 7 of next year, the Bhajan Lal Sharma govt's repeated assurance of completing urban local body (ULB) elections before Dec this year appears increasingly unrealistic.

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Monday announced that the SIR will be conducted across 12 states, including Rajasthan, as part of a massive voter verification and mapping exercise involving lakhs of officials, booth-level officers (BLOs), and administrative staff.

Officials admit that the magnitude of the SIR exercise makes it nearly impossible to prepare updated electoral rolls in time for ULB polls this year. "The revision process itself takes over three months, followed by a claims-and-objections phase. Conducting ULB polls before Dec, therefore, seems logistically unfeasible," a senior official from the election department said.

Besides Sharma, assurances about holding ULB elections under the 'One State, One Election' model before the end of this year had also come from minister of state for home Jawahar Singh Bedam and urban development and housing minister Jhabar Singh Kharra.

The SIR announcement now makes it almost certain that the Dec timeline for ULB elections will be pushed further back, political insiders said.

TOI tried to contact both Bedam and Kharra for comments on this issue, but they were unavailable. Political observers note that any delay in civic elections could also impact local governance and political dynamics in municipalities where the tenure of elected bodies has already ended.

Reacting to the development, Leader of Opposition Tikaram Jully accused the BJP govt of deliberately delaying ULB polls. "This is a direct attack on democracy by the Sharma govt. Hundreds of local bodies are being run by the executive, in denial of people's right to elected representation," he said. He added that the Congress would challenge any delay in holding the polls in court, while questioning the Election Commission's decision to include Rajasthan in this phase of the SIR exercise when Assembly elections in the state aren't due until 2028.

SIR TO BEGIN FOR 54.8MN VOTERS IN RAJASTHAN STARTING NOV 4

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

JAIPUR: Rajasthan with over 5.48 crore electors has been declared by the Election Commission to be among 12 states in India where the special intensive revision will begin from November 4.

CEC, Gyanesh Kumar made the announcement on Monday during a press conference in New Delhi. "After the successful conduction of SIR in Bihar, it is going to be conducted in 12 states and union territories which will be the Phase 2 of SIR process in the country, "he said.

"The last SIR was held two decades ago. SIR will ensure no eligible elector is left out and no ineligible elector is included in poll rolls," Kumar added.

According to the details provided by the EC, Rajasthan currently comprises 5 crores 48 lakh 85 thousand electors across 52,490 polling booths.

There is also 97,873 political party BLAs, 933 EROs or AEROs across 41 districts.

For the SIR process, training will be given since October 28 to November 3 following which BLOs will conduct the house to house enumeration process from November 4 to December 4. The first draft electoral roll will be published on December 9 and the final one on February 7, 2026, said CEC.

After Bihar, SIR next round from Nov 4

According to the EC, the exercise will be carried out in the Andaman and Nicobar Islands, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. Assembly elections are due in Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and West Bengal early next year.

In the second phase, the EC has expanded its indicative list of 11 documents that electors can submit to 13, adding Aadhaar and an extract of the Bihar SIR roll. All those born after July 1, 1987, would be required to submit eligibility documents for themselves as well as their parents. The Bihar SIR roll can be submitted as a proof of electors' parents. Aadhaar can be submitted as a proof of identity, and not citizenship, the EC said.

Monday's announcement follows the EC's order on June 24 for an SIR of electoral rolls for the entire country, starting with Bihar as Assembly elections were due in the state.

For the second phase of SIR, the enumeration period will start on November 4, with 5.33 lakh booth level officers (BLOs) conducting house-to-house visits to have enumeration forms filled. The draft roll, which will be published on December 9, will include all those whose forms have been received, the EC said.

When asked why Assam, where Assembly elections are due in 2026, had been left out for now, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said the Citizenship Act had separate provisions for Assam and the Supreme Court-monitored National Register of Citizens process in the state was about to be completed. He said the electoral roll revision for Assam would be ordered separately.

EC officials said the states were chosen based on the level of preparation, which was assessed during a two-day conference of Chief Electoral Officers last week — apart from the three states and Puducherry where polls are slated next year.

Urban areas, like Delhi and Chandigarh, had lower levels of matching electors to the previous intensive revision rolls, likely due to frequent migration, they said. Factors like ongoing local body elections and weather conditions in northern states were also taken into account.

The draft list would be published on December 9 this year and the final electoral roll on February 7, 2026. Electors will be matched to the last intensive revision rolls of 2002-2005, and those who cannot trace themselves or their parents or relatives on that list will be issued notices and required to submit documents to establish their eligibility afresh.

The BLOs have been tasked with helping electors trace their details on the previous rolls, but electors can also do so themselves on the EC's voters' portal. According to EC sources, a substantial number of electors in the 12 states and UTs have been matched with the last intensive revision roll.

Explaining the need for an SIR now, the CEC said: "For the past few decades, almost all political parties have continuously complained about the impurity of the electoral roll."

He said an SIR had been conducted eight times from 1951 to 2004. In the time since the last intensive revision, he said, there had been many changes to the electoral roll due to frequent migration, voters being registered at more than one place, dead electors not being removed and wrongful inclusion of foreigners.

In instructions issued to the CEOs of the 12 states and UTs on Monday, the EC said the Electoral Registration Officers (EROs) of Assembly constituencies would issue notices to all those electors, after publication of draft roll, who cannot be linked to the previous SIR electoral rolls "to ascertain their eligibility".

As per the June 24 SIR order, all registered electors as on the date of the order were required to fill enumeration forms within a month in order to remain on the draft roll. All those electors who were registered after the last intensive revision, which was in 2003 for Bihar, were required to submit documents to establish their eligibility, including citizenship.

The Bihar SIR concluded with the publication of the final electoral roll on September 30, with the total number of electors shrinking by six per cent to 7.42 crore. The CEC said there has not been any appeal against the decisions of Electoral Registration Officers in Bihar.

The June 24 order of the EC has been challenged in the Supreme Court through a batch of petitions questioning the EC's power to check citizenship of all registered electors as well as the process adopted in Bihar.

Asked about the conduct of the SIR in West Bengal, where Chief Minister Mamata Banerjee has come out against the move, terming it an "NRC through the backdoor", the CEC said there was no "impasse" and all constitutional bodies would carry out their roles.

When asked about the SIR clashing with the local body elections due in Kerala, the CEC, a retired Kerala-cadre IAS officer, said the polls had not been notified yet.

• Bihar effect: Processes tweaked to flag inclusion, papers only in 2nd stage

roll. In contrast, the enumeration phase of the nationwide SIR across 12 states and UTs focuses on inclusion, not verification. Enumerators have been tasked with tracing existing electors through entries in the last SIR rolls — their own, or those of their parents or even relatives. At this stage, no documents are required, only basic information to establish continuity.

■ Building on that shift, the enumeration form itself has been redesigned. Two new columns now allow electors to trace their link to the last revised roll under the SIR. This effort to bring back as many electors as possible had first been introduced in Bihar, but only belatedly, after field officers reported to the Commission that securing one of the 11 prescribed documents for voters registered after 2003 was proving onerous.

In response, the EC tweaked its approach, directing officers during the claims-and-objections phase to trace as many voters as possible back to the 2003 rolls (even indirectly, by establishing a link through a parent or relative) to reduce the number required to furnish proof of eligibility. That feedback-driven adjustment has now been built into the enumeration phase itself.

■ The recalibration goes a step further this time. While tracing a link to the last intensively revised electoral roll, the Commission has now allowed existing electors to connect their names to the roll of any state's last intensive revision and not just the one where they currently reside. Booth Level Officers will now get access to the previous intensive revision rolls of all states, as opposed to the BLOs in Bihar who could only search within their state's roll.

During the Bihar SIR, electors could submit extracts only from Bihar's 2003 revision rolls. In other words, a migrant worker from West Bengal who is now registered as a voter in Chennai can continue to remain enrolled in Tamil Nadu if he can show that his name — or that of a parent or relative — appeared in West Bengal's 2002 electoral roll. Since the last intensive revision there was in 2002, anyone listed on that roll will be presumed eligible to remain on the roll of another state where they now live.

■ Submission of documents will now be required only for those who did not feature in any (state's) electoral roll during the last SIR exercise, unlike in Bihar, where most voters registered after 2003 were asked to submit documents. In the second stage of the nation-wide SIR, which is the claims-and-objections phase, notices to prove eligibility will be issued to all such voters. Earlier, these notices went only to those whose inclusion in the draft roll had been challenged, or to electors registered after 2003 who could not produce any of the 11 mandated documents. This time, a much larger set of notices will go out, and the question of their inclusion, based on their ability to furnish documents, will be decided during the hearings.

■ The Commission's tone, too, on citizenship checks has softened. From its earlier refrain asserting the EC's right to verify citizenship as part of determining eligibility, Monday's announcement marked a clear shift — citizenship remains an eligibility criterion, but was no longer invoked as a central test. Aadhaar, included as the 12th document after the Supreme Court's intervention in the Bihar SIR, remains on the list for the 12 states and UTs.

■ New applicants, including those who have just turned 18 years, can submit their Form 6, which is the EC's electoral registration form, along with the SIR declaration form in the enumeration phase. In Bihar, the new electors' forms were only processed during the claims and objections period, which was after the one-month enumeration period.

■ Finally, unlike the Bihar exercise, which appeared to have taken both political parties and even the election machinery by surprise, the second phase will begin with meetings between Chief Electoral Officers (CEOs) and political parties in each state. Election officials have been directed to explain the process in detail and involve parties as stakeholders from the outset, which is a marked departure from the limited consultation and short notice that characterised the Bihar drive.

ASSEMBLY POLLS IN 4 OF 12 NEXT YEAR

12 states & UTs, 51 cr voters: After Bihar, SIR next round from Nov 4

Assam excluded for now; EC asks voters to submit forms by Dec 4

CEC Gyanesh Kumar with ECs Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. *Anil Sharma*

9 STATES, 3 UNION TERRITORIES

West Bengal	Gujarat
Tamil Nadu	Rajasthan
Kerala	MP
Puducherry	Chhattisgarh
Uttar Pradesh	Lakshadweep
Goa	Andaman and Nicobar

51 crore VOTERS TO BE COVERED

West Bengal, TN, Kerala and Puducherry Assembly polls due in 2026; UP, Gujarat, Goa in 2027; Rajasthan, MP and Chhattisgarh in 2028; Andaman and Nicobar, Lakshadweep do not have Assemblies

DECEMBER 9	FEB 7, 2026
Poll panel to publish draft electoral list	Final electoral rolls to be published

DAMINI NATH
NEW DELHI, OCTOBER 27

THE ELECTION Commission (EC) on Monday announced the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in 12 states and Union Territories, where all of the registered 51 crore electors would have to submit enumeration forms by December 4 to remain on the draft roll.

All those who cannot be traced back to the last intensive revision of rolls in 2002-2005 would be required to submit documents to establish their eligibility to remain on the final list.

CONTINUED ON PAGE 2

BENGAL, TAMIL NADU PUSH BACK PAGE 6

Bihar effect: Processes tweaked to flag inclusion, papers only in 2nd stage

DAMINI NATH & RITIKA CHOPRA
NEW DELHI, OCTOBER 27

EXPLAINED E.

FROM A softening of tone on citizenship to several procedural changes, the second phase of the Special Intensive Revision (SIR) in 12 states and Union Territories marks many points of departure from the exercise the Election Commission had notified for Bihar on June 24.

Consider the key ones:

■ The first major shift comes right at the starting line, the enumeration phase, whose purpose and tone are now entirely different. In Bihar, this phase had triggered anxiety among existing electors registered after 2003, the year the state's rolls were last revised intensively, as they were asked to furnish documents proving their age and citizenship to stay on the electoral

CONTINUED ON PAGE 2

FIRST INDIA

28 October 2025

After Bihar, ECI begins nationwide SIR of electoral rolls from today

SIR 2.0 loading!

- SIR Phase 2 in 12 states & UTs to cover 51 cr voters
- Zero appeal against Bihar survey, stresses poll panel
- Final electoral rolls to be published on Feb 7, 2026

First India Bureau
New Delhi

The Election Commission of India (ECI) has announced phase two of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. Addressing a press conference in New Delhi, CEC Gyanesh Kumar said the second phase of SIR will be carried out in 12 States and UTs from Tuesday. He further noted that there were zero appeal filed against the phase 1 of SIR in Bihar.

> States bound to provide necessary personnel to EC for preparing electoral rolls, conduct of polls.
> GYANESH KUMAR, CEC

CEC also stated that in Assam—where elections are scheduled for 2026—the revision of electoral rolls will be announced separately, as the state's citizenship rules differ from those applicable in the rest of the country. Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, Assam and Puducherry are scheduled to go to polls next year.

Kumar also clarified that "no documents would be required" during the enumeration phase. The poll body also released a list 12 "indicative not exhaustive" documents for the survey.

CEC Gyanesh Kumar, along with ECs Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, during press conference to announce the rollout of the second phase of SIR at Vigyan Bhawan, in New Delhi on Monday.

'AADHAAR VALID FOR ID BUT NOT CITIZENSHIP'

CEC Gyanesh Kumar clarified that while the Aadhaar card can be used as a valid identity document during the SIR process, it does not serve as proof of citizenship, date of birth, or domicile.

SCHEDULE FOR PHASE 2 OF PAN-INDIA REVISION LIST	
Printing/Training	Oct 28 to Nov 3, 2025
House to house enumeration phase	Nov 4 to Dec 4, 2025
Publication of draft electoral rolls	December 9, 2025
Claims and objection period	Dec 9, 2025 to Jan 8, 2026
Notice phase (hearing and verification)	Dec 9, 2025 to Jan 31, 2026
Publication of final electoral rolls	February 7, 2026

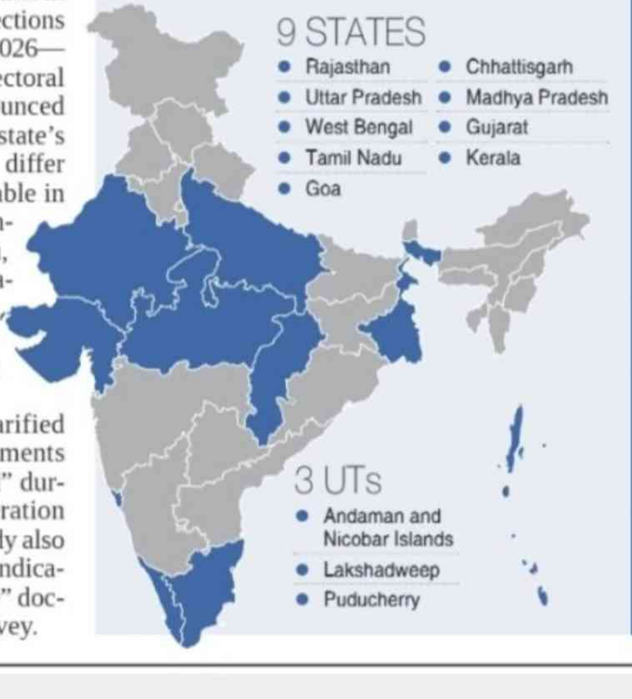

MAJOR HIGHLIGHTS

- 9 states and 3 UTs have 1,843 Assembly segments, with Uttar Pradesh leading the pack with 403 seats, followed by West Bengal (294), Tamil Nadu (234), Madhya Pradesh (230), Rajasthan (200), Gujarat (182), Kerala (140), Chhattisgarh (90), Goa (40) and Puducherry (30)
- The second phase of the SIR will cover 277 Lok Sabha constituencies, including Uttar Pradesh (80), West Bengal (42), Tamil Nadu (39), Madhya Pradesh (29), Gujarat (26), Rajasthan (25), Kerala (20), Chhattisgarh (11), Goa (2), Andaman and Nicobar (1), Lakshadweep (1) and Puducherry (1)

NRC case pending in SC, Assam may see summary rolls revision

▶Continued from P 1

Chief election commissioner Gyanesh Kumar said Supreme Court is monitoring the matter relating to 'citizenship verification programme' — an apparent reference to National Register for Citizens exercise completed in Assam in 2019 — and it may reach finality soon. "A separate order shall be issued for Assam," said Kumar.

Sources said that since there has to be mandatory pre-poll roll updation in Assam, EC could, in the absence of a final SC order on NRC, go for a summary revision. "This will avoid complications arising out of conflict between electoral roll and NRC," said an official.

Other states/UTs covered in this phase of SIR announced on Monday are Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Andaman & Nicobar and Lakshadweep. They have been chosen for having mapped a very high percentage of their electors as of Oct 27, with the last SIR roll and adequately prepping their machinery with posting/training of BLOs and training of district magistrates and EROs. The last two on the list are UTs without a legislature. Maharashtra, where SC has ordered conduct of local polls by Jan 31, 2026, is not on the latest SIR list, even as Kerala, where local polls are being discussed but are not notified yet, is.

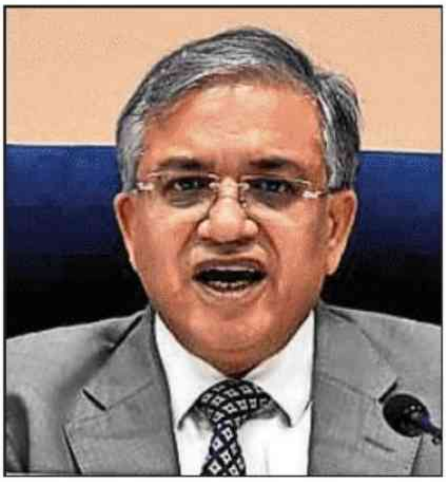

Citing the receipt of 'zero appeals' after publication of final roll in Bihar, CEC Gyanesh Kumar said it stands testimony to perfection with which SIR was carried out and cooperation extended by 7.4 crore electors

Kumar emphasised that EC would deliver an error-free roll in the 12 states/UTs. "SIR will ensure no eligible elector is left out and no ineligible elector is included," he said. Citing the receipt of 'zero appeals' after publication of final roll in Bihar, he said it stands testimony to perfection with which SIR was carried out and cooperation extended by nearly 7.4 crore electors.

Unlike Bihar, the pan-India SIR will not require residents to submit any documents during enumeration phase. Also, a separate box has been added to enrolment forms to record one's own or parents'/relatives' details from the last SIR in 2002/2003/2004. "Ones not linked to the last SIR roll will be issued a notice to prove their eligibility with one of the 'indicative' documents," said Kumar.

On pressure that BLOs may face in states opposing SIR, EC said it is confident that all states/UTs will discharge their constitutional duty under Article 326 by placing their personnel at its disposal for SIR, and maintaining law and order. On transfers of officers in states like West Bengal after announcement of SIR, a senior EC functionary said it signals that these states are ready for the exercise despite threatening to not allow it.

Sources said nearly 70-80% voters in the 12 states/UTs may find a link to the last SIR roll as thanks to digitisation, an elector in one state/UT can locate their parents' name in any other state/UT roll from the last SIR. The CEC said an elector is required by law to sign and submit only one enumeration form.

The 'indicative' list of documents accepted as proof remains the same as in Bihar. Aadhaar will be accepted only as proof of identity. "If during the hearing, a person offers an alternative document, it will be considered by the ERO," the CEC said.

SIR sparks political firestorm: Oppn sees plot to delete voters

BJP Welcomes It As Essential To Purging Poll Rolls Of 'Illegals'

Rohit.Khanna
@timesofindia.com

Kolkata: EC's decision to launch a special intensive revision (SIR) of electoral rolls from Nov triggered sharp political reactions across states, with Bengal's Trinamool Congress and Tamil Nadu's DMK alleging a "BJP-backed plot" to delete legitimate voters, while the saffron party hailed it as a "cleansing exercise to weed out illegal ones".

TMC would "democratically protest" any attempt to strike out genuine voters, party spokesperson Kunal Ghosh said Monday. "We have no problem with electoral roll revision, but if anyone tries to delete the name of any eligible voter at BJP's behest, we will protest democratically," he said, urging people not to fall into "BJP's trap".

Bengal minister for women and child development Shashi Panja called the revision "unnecessary and hurried". "If 2024 voter list was correct, why change now? SIR is nothing but a backdoor entry for NRC," she said, adding that "whenever we ask a question to EC, it's BJP that replies".

Opposition parties said that any attempt to strike out genuine voters from electoral polls will be opposed

Bengal BJP welcomed the exercise as essential to purging electoral lists of "illegal voters". State opposition leader Suvendu Adhikari said, "No illegal voters will be spared. Legitimate voters have nothing to fear. But infiltrators who form TMC's vote bank will be weeded out." State BJP chief Samik Bhattacharya added, "If anyone tries to stall the process, custodians of the Constitution will take care of it. CM (Mamata Banerjee) herself had flagged illegal immigration in Parliament in 2004. EC is only cleansing the rolls. Our aim is to detect and delete — deportation will come later."

Bengal Congress president Subhankar Sarkar called the SIR rollout "faulty" and "imposed without consultation". "We presented a detailed memorandum to EC based on our experience with SIR in Bihar, but they did not accept any proposal. The timing too is insensitive, coming amid Chhath and Jagaddhatri Puja," he said.

CPM Bengal secretary M Salim said, "If a single genuine voter's name is deleted, we will oppose. Amit Shah himself said 'detect, delete and deport'. Our workers will stay vigilant."

In Chennai, CM MK Stalin held an emergency meeting with DMK allies soon after EC's announcement and called for an all-party meeting on Nov 2 to devise a joint response. "Right to vote is the foundation of democracy. Tamil Nadu will fight against any attempt to murder it — and Tamil Nadu will win," Stalin wrote on X. He termed the revision "a conspiracy by EC to rob citizens of their rights and help BJP," citing Bihar experience where, he alleged, "large numbers of women, minorities and SC/ST voters were removed from rolls".

Gujarat Congress president Amit Chavda pledged to resist "wrongful deletion of names". "Questions have been raised about independence of EC. Congress will not allow deletion of even a single genuine voter," he said.

(*Inputs from Chennai & Gandhinagar*)

EC's intention & credibility under cloud: Cong

New Delhi: Soon after EC announced on Monday holding SIR of electoral rolls in 12 states, Congress questioned the exercise, and said the poll body's intentions and credibility are under suspicion as neither the voters nor opposition are satisfied with it.

In a video posted on X, Congress media & publicity head **Pawan Khera** said, "We have not yet received answers to the questions related to SIR conducted in Bihar. The situation was such that SC had to step in several times to rectify the SIR in Bihar.

"Intentions of EC and BJP, which has made EC its puppet, regarding Bihar's SIR have already come to light before the entire country. Whenever SIR happens, EC staff go to every house, add new voters, and delete those who need to be deleted. But not even a singe voter was added in Bihar, whereas 65 lakh voters were deleted, which raises questions," Khera said. Now EC is repeating this in 12 states, he added. PTI

एसआईआर का दूसरा चरण मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, यूपी, प. बंगाल, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में होगी वोटर्स की जांच

राजस्थान समेत 12 राज्यों में SIR; 4 से BLO घर आएंगे, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट

एसआईआर से बिहार में 68 लाख से ज्यादा वोटर्स घट गए थे

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करेगा। नौ राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और 3 यूटी अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप व पुडुचेरी में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाएंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। फाइनल लिस्ट 7 फरवरी को जारी होगी। 51 करोड़ मतदाता कवर होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को यह घोषणा की।

बिहार के बाद यह एसआईआर का दूसरा चरण है। इसका उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। इसके लिए जन्मस्थान जांचा जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर के पहले चरण में बिहार में एक भी अपील नहीं आई। इस कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न हो। कई राज्यों के सीईओ ने वेबसाइट पर पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट अपलोड कर दी हैं। राज्यों के आखिरी एसआईआर कट-ऑफ माने जाएंगे। बिहार में 2003 की मतदाता सूची आधार बनी थी। अधिकांश राज्यों में आखिरी एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था। बिहार में एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ वोटर थे। 68 लाख से ज्यादा नाम कटे। 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए। इस प्रक्रिया के बाद बिहार में कुल मतदाता 7.42 करोड़ रह गए।

वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

• **एसआईआर क्या है?**
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जाएंगे। नए योग्य मतदाता जुड़ेंगे। आजादी के बाद यह नौवां अभियान है। पिछला एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था।

• **कब शुरू होगा? कितना समय लगेगा?**
प्रक्रिया शुरू हो गई। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म (ईएफ) देंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 8 जनवरी, 2026 तक दावे-आपत्तियां कर सकेंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस-सुनवाई प्रक्रिया चलेगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट आएगी।

• **प्रक्रिया कैसे होगी?**
12 राज्यों में 27 अक्टूबर की वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई। इसी आधार पर ईएफ छपेंगे। बीएलओ घर-घर जाकर ये देंगे। आपको इसमें जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, माता-पिता और जीवन साथी का नाम और इपिक नंबर भरना होगा। पिछले एसआईआर के डेटा से मिलान या लिंकिंग में बीएलओ मदद करेंगे। डेटा लिंक https://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है।

• **कौनसे दस्तावेज जमा करने होंगे?**
शुरू में सिर्फ ईएफ भरना है। पिछले एसआईआर से मिलान होने पर कोई दस्तावेज नहीं देना। अगर पिछले एसआईआर में नाम नहीं है तो ईआरओ सूचित करेंगे। 12 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा। ये दस्तावेज हैं- आधार कार्ड; केंद्र, राज्य सरकार या पीएसयू का पहचान पत्र या पीपीओ; 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज; जन्म प्रमाणपत्र; पासपोर्ट; मैट्रिक का प्रमाणपत्र; स्थायी निवास प्रमाणपत्र; वन अधिकार प्रमाणपत्र; ओबीसी/एससी/एसटी या कोई जाति प्रमाणपत्र; एनआरसी; राज्य या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर; सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र; एसआईआर के बाद जारी बिहार की मतदाता सूची।

• **बीएलओ क्या एक बार ही आएंगे?**
बीएलओ कम से कम तीन बार हर वोटर के घर जाएंगे। अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है या नेटवर्क या किसी तकनीकी कारण से पिछले डेटाबेस से मिलान नहीं हो पाया तो वे फिर से आपकी मदद के लिए आएंगे। शेष | पेज 4

राजस्थान : एसआईआर के तहत 77% मैपिंग पूरी

जयपुर | प्रदेश में वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं। इनकी जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारी करेंगे। इनमें से 40 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 2.61 करोड़ है, इनकी 77% की मैपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के हैं, इनकी मैपिंग काम चल रहा है।

तैयारी पूरी, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन से लेकर प्रशिक्षण का पूरा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र को बढ़ावा देना शामिल है।

एसआईआर... विपक्ष ने मंशा पर सवाल उठाए, भाजपा का पलटवार -पढ़ें पेज देश-विदेश

DNA374069

राजस्थान सहित 12 राज्यों में आज से SIR

सात फरवरी तक चलेगा अभियान, 103 दिन चलेगा प्रोसेस

ब्यूरो /नवज्योति/नई दिल्ली। बिहार में सफलता पूर्वक स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन (एसआईआर) कराने के भारत निर्वाचन आयोग ने अब राजस्थान सहित 12 राज्यों में एसआईआर करने का ऐलान कर दिया है। एसआईआर का दूसरा चरण राष्ट्रीय विस्तार चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि जिन राज्यों में एसआईआर होगा, आज रात से उन राज्यों में मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। एसआईआर का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू होगा और अगले साल सात फरवरी तक चलेगा।

जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में है, उन्हें किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची की शुद्धिकरण का काम 21 साल पहले 2002-04 में हुआ था, इतने सालों में वोटर लिस्ट में कई बदलाव जरूरी हो जाते हैं, लोगों का पलायन होता है, इससे एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में नाम रहता है। निधन के बाद भी कई लोगों को नाम लिस्ट में रह जाता है। यही कारण है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी होता है। बिहार में इसी के मद्देनजर पहला चरण पूरा किया गया। सीईसी ने बताया कि जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में है, उन्हें किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और मतदाता सूची में पहले से दर्ज नाम स्वतः जारी रहेंगे।

इन राज्यों में होगा एसआईआर

- राजस्थान
- अंडमान-निकोबार
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- गुजरात
- केरल
- लक्ष्यद्वीप
- मध्य प्रदेश
- पुडुचेरी
- तमिलनाडु
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल

यह रहेगी प्रक्रिया

एसआईआर के दौरान हर मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) नियुक्त होगा। बीएलओ तीन बार मतदाताओं के घर जाकर सत्यापन करेगा, वहीं मतदाता ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी बदलाव या आवेदन कर सकेंगे, मृत, स्थानांतरित या दो जगह पंजीकृत मतदाताओं की पहचान बीएलओ करेगा। जबकि जिला स्तर पर ईआरओ (एसडीएम स्तर) और एईआरओ (सहायक अधिकारी) प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

राजनीतिक दलों से अपील: बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति करें

सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति तुरंत करें ताकि वे बीएलओ के साथ मिलकर मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य में सहयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि बीएलओ और एईआरओ की ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।

क्या होगी पात्रता ?- मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता के लिए पात्रता को भी स्पष्ट किया, जिसके अनुसार वोट देने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी करना, निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी भी कानून के तहत अयोग्य न होना आवश्यक है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित है।

एसआईआर के लिए ये दस्तावेज मान्य

- पेंशनर पहचान पत्र
- किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- 10वीं की मार्कशीट
- स्थाई निवास प्रमाणपत्र
- वन अधिकार प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम
- परिवार रजिस्टर में नाम
- जमीन या मकान आवंटन पत्र
- आधार कार्ड

यह रहेगी आपत्ति और अपील की प्रक्रिया

एसआईआर के दूसरा चरण के फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद अगर किसी को कोई शिकायत रहती है तो वह पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पास की जा सकेगी। डीएम के निर्णय पर दूसरी अपील राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के पास होगी।

एसआइआर: चुनाव आयोग का ऐलान, मौजूदा वोटर लिस्ट फ्रीज, 7 फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया

तैयार रखें कागज... राजस्थान सहित 12 प्रदेशों में आज से मतदाता सूची का शुद्धीकरण

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. जागरूक रहें, सक्रिय रहें...मतदाता सूची में आपका नाम छूट न जाए, इसके लिए जरूरी कागजात तैयार रखें। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मंगलवार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता में यह ऐलान किया। संबंधित राज्यों की मौजूदा वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई है। मंगलवार से ट्रेनिंग के साथ एसआइआर प्रक्रिया शुरू होकर सात फरवरी को खत्म होगी। इस दौरान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने के साथ सत्यापन भी करेंगे। सात फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। बीएलओ घर-घर जाकर जो एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, इसमें मतदाता की हर डिटेल पहले से भरी होगी और फोटो लगानी होगी।

इन राज्यों में 21 साल बाद एसआइआर की प्रक्रिया की जा रही है। इससे पहले 2002 से 2004 में एसआइआर किया गया था। इसलिए इस बार होने वाली पूरी प्रक्रिया में 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाएगा। एसआइआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग के वालंटियर्स सहयोग करेंगे। बीएलओ कम से कम तीन बार हर मतदाता के घर जाएंगे।

असम में अभी एसआइआर नहीं: चुनावी राज्य असम में अभी एसआइआर नहीं होगी। इस बारे में सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि असम के लिए नागरिकता नियम देश के दूसरे हिस्सों से अलग हैं। असम के लिए अलग से रिवीजन ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे और वहां एसआइआर के लिए अलग तारीख की घोषणा की जाएगी।

पढ़ें **तैयार** @ पेज 13

बड़ी कवायद

मतदाता
51 करोड़

बीएलओ
5.33 लाख

योग्य छूटे नहीं, अयोग्य जुड़े नहीं

एसआइआर का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए और न ही कोई अयोग्य मतदाता शामिल हो पाए। सभी राज्यों की मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना लक्ष्य है।
– ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय चुनाव आयोग

एसआइआर का कार्यक्रम

कार्यक्रम	अवधि
प्रिंटिंग और ट्रेनिंग	28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025
घर-घर सत्यापन	4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन	9 दिसंबर 2025
दावे और आपत्तियां	9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026
सुनवाई और सत्यापन	9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन	7 फरवरी 2026

7.64 लाख बूथ लेवल एजेंट पार्टियों के

10448 ईआरओ/एईआरओ

321 जिला निर्वाचन अधिकारी

एक्सप्लेन: सबको भरना होगा एन्यूमरेशन फॉर्म

■ कैसे होगी पूरी प्रक्रिया?
बीएलओ घर-घर जाकर गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। 2002-04 के एसआइआर सूची से आपका या आपके घरवालों के नाम को मैच करेंगे। पुराने एसआइआर का ऑल इंडिया डेटा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

■ क्या एन्यूमरेशन फॉर्म सबको भरना होगा?
जी हां, हर नागरिक को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा भले ही आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो। इसी फॉर्म के आधार पर आपका नाम नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में होगा। आपने यह फॉर्म नहीं भरा तो माना जाएगा कि आप वहां नहीं रहते।

■ फॉर्म भरते समय दस्तावेज देना होगा?
एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। सभी पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में डाले जाएंगे। पुरानी एसआइआर से मैच नहीं करने वाले आवेदकों को नोटिस जारी होगा। ड्राफ्ट सूची में जिनके नाम शामिल नहीं हुए उन्हें 12 निर्धारित दस्तावेज में से एक से अपनी नागरिकता साबित कर नाम दर्ज करवाना होगा। अनुपस्थिति, मृतक, डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सीईओ की वेबसाइट पर उजागर किए जाएंगे।

■ जिनके नाम कटे वह क्या करेंगे?
जिन मतदाताओं के नाम कटेंगे वह नागरिकता साबित करेंगे और आपत्तियां व अपील कर सकेंगे। सुनवाई के बाद नाम हटाए या जोड़े जाएंगे।

■ यदि मेरा या माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट में है तो?
अगर आपका या आपके माता-पिता का नाम पिछले एसआइआर यानी 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको दस्तावेज नहीं देने होंगे।

■ नए मतदाता बनने या जगह बदलने पर क्या होगा?
नए मतदाता बनने के लिए हमेशा की तरह फार्म 6 भरना होगा जिसे बीएलओ कलेक्ट करेंगे। अगर मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो बीएलओ घर जाकर सत्यापन करेंगे घोषणा के लिए फॉर्म 7 और संशोधन या पता बदलने पर फॉर्म 8 भरना होगा।

राजस्थान में फरवरी तक अटके पंचायत-निकाय चुनाव

जयपुर @ पत्रिका. निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दायरे में राजस्थान को शामिल करने से प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव की प्रक्रिया फरवरी-2026 तक अटक गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह का कहना है कि स्वाभाविक तौर पर अब पंचायत-निकाय चुनाव एसआइआर के आधार पर मतदाता सूची जारी होने के बाद ही हो पाएंगे। उधर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो जाएगी और 7 फरवरी 2026 को पूरी हो जाएगी, जिसके लिए राजस्थान में पूरी तैयारी है। प्रदेश में पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद पंचायत और निकाय चुनाव टाले जाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट आदेश के बाद तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने पंचायत-निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन वर्तमान निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने उस प्रक्रिया को रोक दिया।

पढ़ें **राजस्थान** @ पेज 13

एसआइआर फेज-2 में शामिल राजस्थान

मतदाता: 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827

40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता: 2.61 करोड़, 77% की मैपिंग हो चुकी।

40 वर्ष से कम आयु के मतदाता: 2.88 करोड़, मैपिंग का कार्य प्रगति पर

सुप्रीम कोर्ट: राज्यों से मांगी सभी मामलों की रिपोर्ट ... 'मौत का कारोबार': हाईकोर्ट ने भी ठहराया था योजना को वैध

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान है तैयार- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर/श्रीगंगानगर, 27 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान पूरी तरह तैयार हैं। फेज-2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। श्री महाजन ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

श्री महाजन ने बताया कि प्रदेश में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 5 करोड़

48 लाख 84 हजार 827 मतदाता है। जिनकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर की जानी है। इनमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है जिसमें से 77 प्रतिशत की मैंपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के है इनकी मैपिंग का कार्य प्रगति पर है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देना एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। श्री महाजन ने बताया कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाएगा। बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाएगा जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान है तैयार : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

» 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

सीमा किरण

जयपुर/श्रीगंगानगर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान पूरी तरह तैयार हैं। फेज-2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी।

श्री महाजन ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

श्री महाजन ने बताया कि प्रदेश में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता है। जिनकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर की जानी है। इनमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है जिसमें से 77 प्रतिशत की मैपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के है इनकी मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देना एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओ, स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण : श्री महाजन ने बताया कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाएगा। बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाएगा जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण » शेष @ 7 पर

राजस्थान, एमपी, यूपी समेत 12 राज्यों में आज से एसआईआर

» 7 फरवरी तक पूरा होगा » अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर, लेकिन असम में नहीं

नई दिल्ली। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। खास बात ये है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में SIR होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसलिए वहां यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी।

12 राज्य जहां SIR होगा : अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। बीएलए (BLA) नियुक्ति की स्थिति एवं बीएलए-2 की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे। श्री महाजन ने बताया कि जिला स्तर पर मीडिया सेल गठित किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, » शेष @ 7 पर

दैनिक भास्कर बारां 28-10-2025

श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश के निर्देश

बारां| भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा क्षेत्र अंता के उपचुनाव के लिए घोषित मतदान तिथि 11 नवंबर को मताधिकार का उपयोग करने के लिए श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिला श्रम कल्याण अधिकारी गजराज सिंह राठौड़ ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपक्रमों से अपील की है कि मतदान दिवस के दिन उनके संस्थान में कार्यरत जिले के समस्त श्रमिक अथवा मजदूर, जो विधानसभा क्षेत्र अंता के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस 11 नवंबर को सवैतनिक अवकाश देना सुनिश्चित करें। यदि कोई नियोजक मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थान में नियोजित व्यक्ति को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश नहीं देता है, तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दैनिक भास्कर बारां 28-10-2025

चुनाव ड्यूटी से गायब रहने व लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मी निलंबित किए

बारां| विधानसभा उपचुनाव के तहत ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने एवं कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने वाले दो पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित किया है। एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान स्थैतिक निगरानी दल की ड्यूटी में अनुपस्थित रहने एवं कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मियों कांस्टेबल मुकेश कुमार गुर्जर व कांस्टेबल चंद्रभान सहरिया को निलंबित किया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय पुलिस लाईन बारां में रहेगा। चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि कोई कार्मिक लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दैनिक भास्कर
बारां 28-10-2025

पर्यवेक्षक नंदा ने देखे क्षेत्र के संवेदनशील बूथ

अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया

बारां| भारत निर्वाचन आयोग का ओर से अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने सोमवार को विभिन्न संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुगम मतदान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

साथ ही रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नाम वापसी की प्रक्रिया का अवलोकन किया। पर्यवेक्षक नंदा ने विधानसभा क्षेत्र के बालाखेडा, बालदड़ा व पाटूंदा के मतदान केंद्रों का अवलोकन करते हुए वहां बिजली, पानी, छाया व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। साथ ही मतदाताओं की संख्या व कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा की। नंदा ने रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नाम वापसी के अंतिम दिवस अभ्यर्थियों के नाम वापस लिए जाने की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेते हुए होम वोटिंग की तैयारियों को लेकर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही अंता पुलिस थाने में शस्त्र जमा करने के कार्य में अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

मतदान दिवस पर श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश के निर्देश

पैंतरा न्यूज।

बारां, 27 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र अन्ता के उपचुनाव के लिए घोषित मतदान तिथि 11 नवम्बर को मताधिकार का उपयोग करने के लिए श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिले के श्रम कल्याण अधिकारी गजराज सिंह राठौड ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपक्रमों से अपील की है कि मतदान दिवस के दिन उनके संस्थान में कार्यरत जिले के समस्त श्रमिक अथवा मजदूर जो विधानसभा क्षेत्र अन्ता के पंजी त मतदाता हैं, उन्हें मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस 11 नवंबर को संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई नियोजक मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थान में नियोजित व्यक्ति को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश नहीं देता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पर्यवेक्षक नंदा ने देखे संवेदनशील बूथ

पैंतरा न्यूज।

बारां, 27 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग कि और से अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने सोमवार को विभिन्न संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए सुगम मतदान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए साथ ही रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नाम वापसी की प्रक्रिया का अवलोकन किया। पर्यवेक्षक श्रीमती नंदा ने विधानसभा क्षेत्र के बालाखेडा, बालदड़ा व पाटून्दा के मतदान केन्द्रों का अवलोकन करते हुए वहां बिजली, पानी, छाया व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। साथ ही मतदाताओं की संख्या व कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा की। श्रीमती नंदा ने रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नाम वापसी के अंतिम दिवस अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिए जाने की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेते हुए होम वोटिंग की तैयारियों को लेकर समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही अंता पुलिस थाने में शस्त्र जमा करने के कार्य में अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

श्रमिकों को 11 का संवैतनिक अवकाश

बारां @ पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र अन्ता के उपचुनाव के लिए घोषित मतदान तिथि 11 नवम्बर को मताधिकार का उपयोग करने के लिए श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिले के श्रम कल्याण अधिकारी गजराज सिंह राठौड ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपक्रमों से अपील की है कि मतदान दिवस के दिन उनके संस्थान में कार्यरत ज़िले के समस्त श्रमिक अथवा मजदूर जो विधानसभा क्षेत्र अन्ता के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस 11 नवंबर को संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई नियोजक मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थान में नियोजित व्यक्ति को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश नहीं देता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

चुनाव चिन्ह आवंटित

अन्ता. विधानसभा उप चुनाव में सोमवार को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशीयो को निर्वाचन विभाग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन किया। राष्ट्रीय पार्टीयो के प्रत्याशीयो के अलावा निर्दलिय उम्मीदवारो को आवंटित चुनाव चिन्हों में किसी को एयरकण्डीशन मिला तो किसी को जूता मिला। वही कोई गन्ना किसान तो किसी को गीलास, केतली बल्ला मिला। किसी के हिस्से में आटोरिक्शा व आलमारी व बेबीवाकर तथा गेस सिलेण्डर मिले। तो वही किसी के हिस्से में सेब तो आइसक्रिम आई है।

दो चरणों में होगी होम वोटिंग, दस टीम गठित

बारां @ पत्रिका. अंता विधानसभा उप चुनाव 2025 के अंतर्गत 85 वर्ष से अधिक आयु के 213 वरिष्ठ मतदाताओं तथा 106 दिव्यांग मतदाताओं से दो चरणों में होम वोटिंग के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। होम वोटिंग का प्रथम चरण 2 से 5 नवंबर तथा 7 से 8 नवंबर तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि होम वोटिंग के माध्यम से कुल 219 पात्र मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। यंह सभी मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करेंगे। होम वोटिंग के लिए पांच सदस्यीय 10 मतदान दलों का गठन किया गया है। जिसमें 2 मतदान अधिकारी सहित माइक्रो आब्जर्वर, वीडियोग्राफर व सुरक्षा कर्मी शामिल है। मतदान के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट व बीएलओ भी मौजूद रहेंगे। होम वोटिंग रूट चार्ट निर्धारित कर लिया गया है।

पर्यवेक्षक नंदा ने देखे संवेदनशील बूथ

बारां. संवेदनशील बूथ के बारे में जानकारी लेती नंदा। पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. भारत निर्वाचन आयोग कि और से अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने सोमवार को विभिन्न संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए सुगम मतदान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए साथ ही रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नाम वापसी की प्रक्रिया का अवलोकन किया।

पर्यवेक्षक नंदा ने विधानसभा क्षेत्र के बालाखेडा, बालदड़ा व पाटून्दा के मतदान केन्द्रों का अवलोकन करते हुए वहां बिजली, पानी, छाया व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। साथ ही मतदाताओं की संख्या व कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा की। नंदा ने रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नाम वापसी के अंतिम दिवस अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिए जाने की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेते हुए होम वोटिंग की तैयारियों को लेकर समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही अंता पुलिस थाने में शस्त्र जमा करने के कार्य में अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

मेहंदी रचाकर दिया जागरुकता का संदेश

बारां. मेहंदी रचाकर जागरूक करती युवतियां। पत्रिका

बारां @ पत्रिका. उपचुनाव में शतप्रतिशत मतदान के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर मेहंदी रचाकर वोट देने का संदेश दिया गया। नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में अंता विधानसभा उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं मतदान केंद्रों पर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

स्वीप सहप्रभारी अमित भार्गव ने बताया कि ग्राम पंचायत एवं साथ ही संकल्प पत्र भरवाते हुए उपचुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प कराया गया। स्किल राजस्थान केंद्र अंता एवं महाविद्यालयों में भी स्वीप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक मेहंदी में निर्वाचन के ऑनलाइन ऐप को दर्शाया तथा 11 नवंबर नोट करें निर्भय होकर वोट करें, जैसे जागरूकता संबंधी नारों के साथ आमजन को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद वर्मा,

लिया फैसला

गांव में विकास नहीं होने से नाराज हैं ग्रामीण

अब गणेशपुरा के लोग भी करेंगे मतदान का बहिष्कार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बड़गांव. ग्राम पंचायत बालदड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव गणेशपुरा ने इस बार अंता विधानसभा में हो रहे उपचुनाव का बहिष्कार किया है। गांव के बुजुर्ग लटूर लाल गुर्जर ने बताया कि हमारे गांव की हमेशा उपेक्षा हुई है। यहां सरपंच, विधायक, सांसद हर बार वोट डालने की अपील करने के लिए आते हैं। लेकिन जीतने के बाद उनके वादे और इरादे बदल जाते हैं।

बड़गांव. गणेशपुरा गांव के एक घर में बैठे ग्रामीण। पत्रिका

हमारे गांव सबसे बड़ी समस्या मुक्तिधाम की है। आज तक इस गांव में पक्के मुक्तिधाम का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके कारण हमें बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करने में परेशानी होती हैं। स्कूल तक जाने वाला रास्ता भी खराब हो रहा है। यहां बना नाला भी जर्जर हो गया है। इसके कारण छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। इस गांव की आबादी लगभग 700 की तकरीबन है। यहां लगभग 200 से 300 मतदाता हैं। धनराज गुर्जर, कालू लाल गुर्जर, ओम गुर्जर, बंशीलाल गुर्जर, घनश्याम वैष्णव, घासी लाल बैरवा, नंदलाल गुर्जर आदि ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का समर्थन किया है।

विधानसभा उपचुनाव 2025

15 प्रत्याशियों के बीच होगी अंता में चुनावी जंग

बारां @ पत्रिका. अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को पांच निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम हवाई सिंह यादव ने बताया कि अन्ता विधानसभा उप चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए कुल 21 प्रत्याशियों ने 32 नामांकन पत्र दाखिल किए थे।

नाम वापस लिया

इनमें भाजपा के जिला महामंत्री व पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नाम प्रमुख है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की समझाइश के बाद उन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया। वहीं मुंडोता जयपुर के अभयदास जांगिड़, प्रताप नगर जयपुर के नरोत्तम पारीक, नयागांव बारां की सुनीता मीणा तथा बारां जिले की मांगरोल तहसील की संतोष सुमन ने भी चुनाव में नामांकन भरा था। इन्होंने भी दोपहर तीन बजे से पूर्व अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं।

इसमें फार्मों की जांच व संवीक्षा के दौरान एक फार्म निरस्त कर दिया गया था। शेष 20 में से 5 ने सोमवार को नाम वापस ले लिया है।

यह प्रत्याशी रहे चुनाव मैदान में

प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भाजपा से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया तथा निर्दलीय नरेश कुमार मीणा, योगेश कुमार शर्मा, राजपाल सिंह शेखावत, जमील अहमद, दिलदार, धर्मवीर, नरेश, नौशाद, पंकज कुमार, पुखराज सोनेल, बंसीलाल, बीलाल खान, तथा मंजूर आलम चुनावी मैदान में हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान है तैयारः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

जयपुर/बालोतरा। 27 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान पूरी तरह तैयार हैं। फेज-2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी।

श्री महाजन ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

श्री महाजन ने बताया कि प्रदेश में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अ ठुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता है। जिनकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर की जानी है। इनमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है जिसमें से 77 प्रतिशत की मैंपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के है इनकी मैपिंग का कार्य प्रगति पर है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देना एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओ, स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण

श्री महाजन ने बताया कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाएगा। बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाएगा जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। बीएलए (इछअ) नियुक्ति की स्थिति एवं बीएलए-2 की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे।

श्री महाजन ने बताया कि जिला स्तर पर मीडिया सेल गठित किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाएगा।

प्रदेश में 'बुक ए कॉल विद इछड' से अब तक लगभग 5 हजार कॉल्स

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ECINet ऐप / वेबसाइट लॉन्च की गयी है, इस में 'बुक ए कॉल विद BLO' का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता इछड से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है।

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां https://voters.eci.gov.in पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। जिससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा शुरू : मुख्य चुनाव आयुक्त

दिल्ली, 27 अक्टूबर (एजेंसी)।

देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण जल्द ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। सीईसी ने कहा, एसआईआर का दूसरा चरण अब 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। उन सभी राज्यों की मतदाता सूची जहां यह पुनरीक्षण किया जाएगा, सोमवार रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सूची के फ्रीज होने के बाद ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) प्रत्येक मतदाता को एक 'अद्वितीय गणना फॉर्म' वितरित करेंगे। इस फॉर्म में वर्तमान मतदाता सूची से सभी आवश्यक विवरण पहले से भरे होंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान है तैयारः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

जयपुर/बालोतरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान पूरी तरह तैयार हैं। फेज-2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी।

श्री महाजन ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

श्री महाजन ने बताया कि प्रदेश में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता है। जिनकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर की जानी है। इनमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है जिसमें से 77 प्रतिशत की मैपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के है इनकी मैपिंग का कार्य प्रगति पर है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देना एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओ, स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण

श्री महाजन ने बताया कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाएगा। बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाएगा जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवकों एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। बीएलए (इछअ) नियुक्ति की स्थिति एवं बीएलए-2 की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे। श्री महाजन ने बताया कि जिला स्तर पर मीडिया सेल गठित किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाएगा।

प्रदेश में 'बुक ए कॉल विद इछड' से अब तक लगभग 5 हजार कॉल्स

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत एडक्षीइ ऐप / वेबसाइट लॉन्च की गयी है, इस में 'बुक ए कॉल विद इछड' का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता इछड से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है।

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। जिससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

दैनिक भास्कर डीडवाना कुचामन भास्कर 28-10-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर तैयारी

कुचामनसिटी | विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। फेज-2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। महाजन ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने चुनावों में एआई-जनित सामग्री के दुरूपयोग पर लगाई रोक

पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए जारी किए नए निर्देश

दिशा न्यूज/ बारां/जयपुर,। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं प्रचार प्रतिनिधियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामग्री चुनावी अखंडता, मतदाता विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बन रही है।

आयोग के ताजा परामर्श में कहा गया है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई। कृत्रिम सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह परामर्श जारी किया है, ताकि चुनावी प्रचार में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्मरण कराया है कि सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और आयोग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों (दिनांक 6 मई, 2024 और 16 जनवरी, 2025) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

निर्वाचन आयोग ने प्रमुख निर्देशों के तहत किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित छवि, ऑडियो या वीडियो पर 'एआई-जनरेटेड, डिजिटली एन्हेन्सड् या सिंथेटिक कन्टेन्ट जैसे स्पष्ट लेबल का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। दृश्य सामग्री में यह लेबल दृश्य क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को कवर करे। वीडियो में यह ऊपरी भाग पर प्रदर्शित हो। ऑडियो सामग्री मे यह प्रारंभिक 10 प्रतिशत अवधि तक सुनाई दे।

उत्तरदायी इकाई का नाम प्रदर्शित करना आवश्यक –

हर एआई-जनित सामग्री मे उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी इकाई का नाम या तो मेटाडाटा में या कैप्शन में दर्शाया जाए।

भ्रामक या अवैध सामग्री पर प्रतिबंध

ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या साझा नहीं की जा सकती जो किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत रूप में प्रस्तुत करे या मतदाताओं को भ्रमित करने की संभावना रखती हो।

भ्रामक सामग्री हटाने की समय सीमा

यदि किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भ्रामक, एआई-जनित या कृत्रिम रूप से संशोधित सामग्री पाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट या संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

एआई सामग्री का अभिलेख रखना अनिवार्य –

सभी राजनीतिक दलों को अपनी एआई-जनित प्रचार सामग्री का आंतरिक अभिलेख रखना होगा, जिसमें निर्माता का विवरण और समय-चिह्न शामिल हों। आयोग द्वारा मांग किए जाने पर यह अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी सामान्य एवं उपचुनावों में प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

मतदान दिवस पर श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश के निर्देश

दिशा न्यूज/ बारां।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र अन्ता के उपचुनाव के लिए घोषित मतदान तिथि 11 नवम्बर को मताधिकार का उपयोग करने के लिए श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

जिले के श्रम कल्याण अधिकारी गजराज सिंह राठौड ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपक्रमों से अपील की है कि मतदान दिवस के दिन उनके संस्थान में कार्यरत जिले के समस्त श्रमिक अथवा मजदूर जो विधानसभा क्षेत्र अन्ता के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस 11 नवंबर को संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई नियोजक मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थान में नियोजित व्यक्ति को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश नहीं देता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने चुनावों में एआई-जनित सामग्री के दुरुपयोग पर लगाई रोक

पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए जारी किए नए निर्देश

बारां/जयपुर, 27 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं प्रचार प्रतिनिधियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामग्री चुनावी अखंडता, मतदाता विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बन रही है। आयोग के ताज़ा परामर्श में कहा गया है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई कृत्रिम सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह परामर्श जारी किया है, ताकि चुनावी प्रचार में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्मरण कराया है कि सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और आयोग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों

(दिनांक 6 मई, 2024 और 16 जनवरी, 2025) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

निर्वाचन आयोग ने प्रमुख निर्देशों के तहत किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित छवि, ऑडियो या वीडियो पर 'एआई-जनरेटेड, डिजिटली एन्हेन्सड् या सिंथेटिक कन्टेन्ट जैसे स्पष्ट लेबल का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। दृश्य सामग्री में यह लेबल दृश्य क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को कवर करे। वीडियो में यह ऊपरी भाग पर प्रदर्शित हो। ऑडियो सामग्री में यह प्रारंभिक 10 प्रतिशत अवधि तक सुनाई दे।

उत्तरदायी इकाई का नाम प्रदर्शित करना आवश्यक-

हर एआई-जनित सामग्री में उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी इकाई का नाम या तो मेटाडाटा में या कैप्शन में दर्शाया जाए।

भ्रामक या अवैध सामग्री पर प्रतिबंध-

ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या साझा नहीं की जा सकती जो किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज़ को उसकी सहमति के बिना गलत रूप में प्रस्तुत करे या मतदाताओं को भ्रमित करने की संभावना रखती हो।

भ्रामक सामग्री हटाने की समय सीमा-

यदि किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भ्रामक, एआई-जनित या कृत्रिम रूप से संशोधित सामग्री पाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट या संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

एआई सामग्री का अभिलेख रखना अनिवार्य-

सभी राजनीतिक दलों को अपनी एआई-जनित प्रचार सामग्री का आंतरिक अभिलेख रखना होगा, जिसमें निर्माता का विवरण और समय-चिह्न शामिल हों। आयोग द्वारा मांग किए जाने पर यह अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी सामान्य एवं उपचुनावों में प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।